UPAU010044942022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया

प्रभारी पीठासीन अधिकारी– पी.एन. श्रीवास्तव, (एच.जे.एस.) – UP 5734

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1892/2022

1.	दीपक मिश्रा पुत्र विजय शंकर	निवासीगण– ग्राम खरकपुरा पोस्ट भिन्डवा
2.	विजय शंकर मिश्रा पुत्र रमेश चन्द्र मिश्रा	थाना सहसों
3.	आशा मिश्रा पत्नी विजय शंकर मिश्रा	जिला इटावा (उ०प्र०)।.....प्रार्थीगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–43/2021

धारा– 498ए,323,506 भा०दं०सं०

थाना–महिला थाना औरैया, जिला–औरैया।

दिनांक–07.12.2022

उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दीपक मिश्रा, विजय शंकर मिश्रा व आशा मिश्रा के द्वारा उपरोक्त मामले में धारा–438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा शिप्रा मिश्रा की शादी दिनांक 12.12.2011 को हिन्दू रीति रिवाज से दीपक मिश्रा के साथ तिलक गेस्ट हाउस से सम्पन्न हुई थी। शादी में उसके पिता ने करीब 25 लाख रूपये नकद व घर गृहस्थी का सामान दिया था। लेकिन दिये गये दान दहेज से उसके ससुरालीजन पति दीपक मिश्रा, ससुर विजय शंकर मिश्रा, सास आशा मिश्रा संतुष्ट नहीं हुए थे। अतिरिक्त दहेज मे एक स्कार्पियो गाड़ी की माँग करने लगे, दहेज की माँग पूरी न होने पर उसके ससुरालीजन उपरोक्त उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके पति दीपक मिश्रा भोपाल में प्राईवेट नौकरी करते है। उसने अपने ससुरालीजनों को काफी समझाया लेकिन उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की माँग की पूर्ति के बिना उसे अपने घर रखने को तैयार नहीं हुए। फरवरी 2021 में उसके ससुराली जन उपरोक्त उसके घर आये, उससे कहने लगे कि वह उससे तलाक चाहता है। उसके घर वाले अतिरिक्त दहेज की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। शोर गुल की अवाज सुनकर उसके माता–पिता व पास पड़ोस के लोग आ गये, जिन्होंने ललकारा तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे निर्दोष हैं। वादिनी की तहरीर के अनुसार घटना फरवरी 2021 की दर्शायी गयी है, परन्तु कोई तारीख अथवा समय नहीं दर्शाया गया है। वादिनी ने उनके द्वारा वादिनी के मायके आकर फरवरी 2021 में मारपीट करना भी कहा है, परंतु कोई चिकित्सीय आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट छः माह बाद विलम्ब से अंकित करायी गयी है। सत्य यह है कि प्रार्थी दीपक मिश्रा ने अपनी सर्विस के दौरान महाराष्ट्र राज्य व मध्यप्रदेश राज्य में जहां–जहां तैनात रहा वहां वादिनी को साथ रखा परन्तु वादिनी स्वयं अपने माता–पिता के यहां औरैया रहने की जिद्द करती रही और कहती रही कि उ०प्र० राज्य में स्थानान्तरण करवाइये, परन्तु प्रार्थी दीपक मिश्रा को कम्पनी द्वारा उ०प्र० राज्य नहीं भेजा गया और प्रार्थी दीपक मिश्रा का बार–बार औरैया आना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में समय का अभाव रहता है, इस विवाद के कारण वादिनी स्वयं अपनी मर्जी से अपने माता–पिता के पास निवास कर रही है। प्रार्थी दीपक मिश्रा के साथ नौकरी पर मध्यप्रदेश राज्य

Digitally signed by Prakash Nath Srivastava
Date: 2022.12.07 14:22:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में रहने को वादिनी तैयार नहीं हुई और न ही प्रार्थी विजय शंकर मिश्रा व श्रीमती आशा मिश्रा के साथ ग्राम खरकपुरा पोस्ट भिन्डवा थाना सहसों, जिला इटावा रहने को राजी हुई। इस कारण जब प्रार्थी दीपक मिश्रा ने न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (म०प्र०) में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया, जब इसकी जानकारी वादिनी व उसके माता–पिता को हुई तब वादिनी व उसके माता–पिता ने प्रार्थी दीपक मिश्रा से मोबाइल पर सम्पर्क किया और वादिनी ने कहा कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तब प्रार्थी दीपक मिश्रा ने न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महोदय भोपाल (म०प्र०) को भी इस बात से अवगत कराते हुये, उसने धारा–8 हिन्दू विवाह अधिनियम के वाद में बल न देते हुये समाप्त कराया। तदोपरांत वादिनी ने उपरोक्त वाद गलत तथ्य दर्शाकर उनके विरूद्ध दर्ज कराया है। प्रार्थीगण विजय शंकर मिश्रा व श्रीमती आशा मिश्रा 65 वर्ष वृद्ध व्यक्ति है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उनको अग्रिम जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा न तो वादिनी अथवा उसके मायके वालों से दहेज में गाड़ी की मांग की गयी है और न ही उक्त मांग को लेकर वादिनी को कभी प्रताड़ित किया है। प्रार्थी दीपक मिश्रा प्राइवेट नौकरी करता है। वादिनी स्वयं उसके साथ रहना नहीं चाहती है और अपनी स्वयं की मर्जी से अपने पिता के घर पर रहती है। प्रार्थी दीपक मिश्रा ने न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (म०प्र०) में वादिनी के विरुद्ध धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया था। इसी से क्षुब्ध होकर वादिनी ने उन पर दबाव बनाने की नियत यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रार्थीगण विजय शंकर मिश्रा व श्रीमती आशा मिश्रा वृद्ध व्यक्ति हैं। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं पति–पत्नी के मध्य पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है। उक्त मामले में प्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर प्रार्थीगण को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण पूर्व से अग्रिम अंतरित जमानत पर हैं। अतः प्रार्थीगण पूर्व में दाखिल किये गये व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर बने रहेंगे–

1– यह कि इस दौरान प्रार्थीगण घटना से संबंधित किसी ऐसे साक्षी को जो घटना के बारे में साक्ष्य दे सकता हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी को लालच, धमकी या उत्प्रेरित नहीं करेंगे।

2– यह कि प्रार्थीगण, न्यायालय की बिना अनुमति के भारत की सीमा नहीं छोड़ेंगे।

3– यह कि प्रार्थीगण, घटना से संबंधित किसी तात्विक साक्ष्य को न तो हटायेंगे, न उसे नष्ट करेंगे।

4– यह कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करें, तो उनकी जमानत निरस्त कर दी जाये।

इस आदेश की एक प्रति जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं सम्बन्धित न्यायालय को जारी की जाये।

दिनांक–07.12.2022

(पी.एन. श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
औरैया।